

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
सावंलराम बनाम रामकिशन
किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण
प्रकरण सं. - 46/2017

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की
तामील में जारी
हुए

13.06.2018

अधिवक्ता फरीकेन उपस्थित। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का उनवानी सावंलराम बनाम रामकिशन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2015 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगण से मिलकर बैंक डेट में उसी दिन प्रार्थीगण के पीठ पीछे उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किये जाने बाबत पुनश्चय करके आदेशिका लिख दी गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.06.2015 नियत की गई। प्रार्थीगण इस मुगलते में रहे की उक्त प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। दिनांक 01.08.2017 को पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा जगदीश बनमा नानगी पत्रावली में अपने द्वारा दी गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा, दिनांक 27.04.2017 को गुपचुप में निरस्त करने हेतु तारीख पेशी 01.08.2017 दिये जाने की भनक लगते ही प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता सहित प्रकरण की पैरवी करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विपक्षीगण के प्रार्थना पत्र की नकल मांगते हुए जवाब हेतु समय दिये जाने बाबत निवेदन किये जाने के उपरान्त भी मनमाने तरीके से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.08.2017 को अनुचित रूप से निरस्त कर दी गई। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी रामगढ पचवारा की कार्यशैली से प्रार्थीगण को न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 द्वारा निवेदन किया गया की पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप गलत एवं मनगढन्त है। अप्रार्थीगण को हैरान-परेशान करने एवं प्रकरण को देरीना करने की गरज से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार उनवानी प्रकरण सावंलराम बनाम रामकिशन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 91/2015 में निर्णय दिनांक 17.06.2015 के विरुद्ध अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में विचाराधीन है जिसकी मूल पत्रावली को दिनांक 13.09.2017 को भिजवाई जा चुकी है। प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने में उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से विचाराधीन उनवानी प्रकरण सावंलराम बनाम रामकिशन को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में स्थानान्तरित किया जाता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त उनवानी प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करे। उभयपक्षकार दिनांक 26.06.2018 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में उपस्थिति देवे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी लालसोट एवं रामगढ पचवारा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर

